डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 185] रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 31 अगस्त 2001—भाद्र 9, शक 1923

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्पलेक्स
7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003

संदर्भ सं. 01.एसईसी : जीएन: 26 दिनांक 4-06-2001

अधिसूचना का शुद्धिपत्र-II

सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण-I (3 × 660 मेगावाट)

मध्यप्रदेश सरकार के दिनांक 3-11-1999 के राजपत्र में प्रकाशित यथासंशोधित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29(2) के अधीन योजना की अधिसूचना का शुद्धिपत्र.

जबकि यथासंशोधित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 28 के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिनियम के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक उत्पादक कंपनी यहां इसके आगे "उत्पादक कंपनी" के रूप में उल्लिखित नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली में स्थित है, ने छत्तीसगढ़ राज्य (पहले मध्यप्रदेश का भाग) के बिलासपुर जिले में सीपत थर्मल पावर परियोजना चरण-I अथवा संक्षेप में "सीपत एसटीपीपी चरण-I" के कोयला आधारित विद्युत स्टेशन की स्थापना, निर्माण तथा प्रचालन संबंधी योजना तैयार की है.

उत्पादक कंपनी द्वारा योजना का विवरण मध्यप्रदेश सरकार के दिनांक 12-12-1996 के राजपत्र तथा स्थानीय समाचारपत्र (दि हिंदुस्तान टाइम्स, दिनांक 14 और 15-12-1996, देशबंधु बिलासपुर, दिनांक 22 और 24-12-1996 तथा देशबंधु, रायपुर दिनांक 22 और 24-12-1996) में प्रकाशित कराया गया था और अधिसूचना का शुद्धिपत्र मध्यप्रदेश सरकार के दिनांक 3-11-1999 के राजपत्र और स्थानीय समाचारपत्र (दि हिंदुस्तान टाइम्स,

दिनांक 9-11-1999 और 10-11-1999, देशबंधु, बिलासपुर, दिनांक 11-11-1999 और 12-11-1999 तथा देशबंधु, रायपुर, दिनांक 11-11-1999 और 12-11-1999) में प्रकाशित हुआ था.

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) ने योजना चरण-I को क्षमता/आकार में निम्नलिखित परिवर्तन के साथ तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है.

क्षमता चरण-I में 2000 मेगावाट (4 × 500 मेगावाट) के स्थान पर 1980 मेगावाट (3 × 660 मेगावाट).

चरण-I विस्तार (प्रस्तावित) 1000 मेगावाट (2 × 500 मेगावाट) के स्थान पर 660 मेगावाट.

इसके अतिरिक्त विद्युत् मंत्रालय, भारत सरकार के परवर्ती निर्णय के अनुसार मूल रूप से संकल्पित पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली संबद्ध पारेषण योजना के सीमा क्षेत्र में शामिल करने की बजाय उत्पादक स्टेशन में स्विचयार्ड को एनटीपीसी के हरित क्षेत्र विद्युत स्टेशन के सीमा क्षेत्र में भी शामिल किया जाएगा. सीपत एसटीपीपी चरण-I की योजना को सीपत में स्विचयार्ड शामिल करने के लिए तद्नुसार संशोधित किया गया है. अंतिम चरण के लिए स्विचयार्ड की आवश्यकता को शामिल करने के बाद कुल भूमि अधिग्रहण लगभग 4400 एकड़ होगा. स्विचयार्ड की लागत सहित सीपत एसटीपीपी चरण-I विद्युत परियोजना स्कीम का संशोधित लागत अनुमान 8121 करोड़ रुपए (प्रथम तिमाही 1999 का मूल्य स्तर) और सांकेतिक अनुमानित पूर्ण लागत 9534 करोड़ रुपए है.

उपरोक्त परिवर्तनों को छोड़कर योजना की अन्य मुख्य विशेषताएं अपरिवर्तित रहेंगी.

उक्त अधिनियम की धारा 29(2) के अधीन यह सूचना दी जाती है कि इस प्रकार की दिलचस्पी रखने वाला कोई लाइसेंसधारी अथवा अन्य व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो (2) महीनों के भीतर उपरोक्त योजना के संबंध में अपना अभ्यावेदन कर सकता है, जिसके बाद आगे किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

आदेशानुसार
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड
सही/-
(अंजन कुमार बाजपेयी)
कंपनी सचिव
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड
एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्पलेक्स
7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LIMITED
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

NTPC BHAWAN, SCOPE COMPLEX, 7 INSTITUTIONAL AREA,
LODHI ROAD, NEW DELHI- 110003

Ref. No. 01:SEC:GN: 26 Dated, 04-06-2001

CORRIGENDUM-II TO NOTIFICATION

Sipat Super Thermal Power Project, Stage-I (3 x 660 MW)

Corrigendum to Notification of the Scheme under Section 29(2) of the Electricity (Supply) Act, 1948, as amended, publihsed in Gazette dated 3-11-1999 of Government of Madhya Pradesh.

Whereas in exercise of its power under Section 28 of the Electricity (Supply) Act, 1948, as amended, National Thermal Power Corporation Limited having its registered office at NTPC Bhawan, SCOPE Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003, a generating company set up by the Government of India under the aforesaid Act, hereinafter referred to as "Generating Company" had prepared the scheme relating to establishment construction and operation of coal based generating station in Bilaspur district of Chhattisgarh State (earlier part of Madhya Pradesh State) herein after called Sipat Super Thermal Power Project, Stage-I or in short "Sipat STPP Stage-I".

The details of the scheme were published by the generating company in M.P. State gazette on 12-12-1996 and in local newpapers (The Hindustan Times dated 14 and 15-12-96, Deshbandhu, Bilaspur dated 22 and 24-12-96 and Deshbandhu, Raipur dated 22 and 24-12-96) and Corrigendum to Notification was published in Gazette dated 3-11-1999 of Government of Madhya Pradesh and in local newspapers (The Hindustan Times dated 9-11-99 and 10-11-99, Deshbandhu, Bilaspur dated 11-11-99 and 12-11-99 and Deshbandhu, Raipur dated 11-11-99 and 12-11-99).

The Stage-I scheme was Techno-economically cleared by Central Electricity Authority (CEA) with the following changes-in capacity/configuration :

Capacity - 1980 MW (3 x 660 MW) in Stage-I instead of 2000 MW (4 x 500 MW).

Stage-II expansion (proposed) 660 MW instead of 1000 MW (2 x 500 MW).

Further, as per subsequent decision of Ministry of Power, Govt. of India, Switchyard at generating station end instead of being covered in the scope of Associated Transmission Scheme to be implemented by Powergrid Corporation of India Ltd., as originally envisaged will also be covered in the scope of NTPC's green-field power stations. The Scheme for Sipat STPP Stage-I has accordingly been revised to include Switchyard at Sipat. The total land acquisition after including requirement of Switchyard for the ultimate Stage will be about 4400 acres. The revised cost estimate of the Sipat STPP Stage-I Power Project Scheme including cost of Switchyard is estimated at Rs. 8121 crores (1st qtr. 1999 price level) and indicative estimated completed cost is Rs. 9534 crores.

Except the above changes, the other salient features of the scheme shall remain unaltered.

Notice is hereby given under Section 29(2) of the said Act that any licensee or other person so interested may make his/their representation of above scheme, if any, within two (2) months from the date of publication on this notification after which no further representation will be considered.

By the order of National Thermal Power Corporation Ltd.,
Sd/-
(ANJAN KUMAR BAJPAIE)
Company Secretary,
National Thermal Power Corporation Limited,
NTPC Bhawan, SCOPE Complex, 7, Institutional Area,
Lodhi Road, New-Delhi-110003

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.